लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4458

19 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र उद्योग का पुनरुद्धार किया जाना

4458. श्री अनुराग शर्माः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास निकट भविष्य में देश के विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष रूप से झांसी के महाराजपुर एवं निकटस्थ क्षेत्रों में वस्त्र उद्योग का पुनरुद्धार किए जाने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान वस्त्र उद्योग में पुनरुद्धार किए जाने हेतु उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (ग): सरकार अखिल भारत आधार पर वस्त्र उद्योग के विकास में सहायता करने के लिए विभिन्न नीतिगत पहलें और योजनाएं क्रियान्वित कर रही हैं। ये योजनाएं और पहलें वस्त्र क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन, अवसंरचना निर्माण, कौशल विकास और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देती है। सरकार द्वारा क्रियान्वित किए गए कुछ प्रमुख नीतिगत उपाय और योजनाएं नीचे दी गई हैं:

i. **संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस):** पात्र मशीनरी के लिए एकबारगी पूंजीगत सब्सिडी के साथ वस्त्र उद्योग के तकनीकी उन्नयन के लिए संशोधित योजना 17,822 करोड़ रुपए के परिव्यय से जनवरी, 2016 में शुरू की गई थी। इस योजना को लगभग 95,000 करोड़ रुपए का नया निवेश जुटाने और वर्ष 2022 तक 35 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए बनाया गया है।

ii. **समर्थ- वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना (एससीबीटीएस) :** यह योजना संगठित क्षेत्र में स्पिनिंग तथा वीविंग को छोड़कर वस्त्र क्षेत्र की समग्र मूल्य श्रृंखला के लिए 1300 करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान तीन वर्षों की अवधि के लिए लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ संगठित वस्त्र तथा संबद्ध क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने तथा परंपरागत क्षेत्रों में कौशल तथा कौशल उन्नयन करने के उद्योग के प्रयासों में सहायता करने तथा प्रोत्साहन देने के लिए एक मांग आधारित, प्लेसमेंट उन्मुखी, राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप कौशल कार्यक्रम भी उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत मार्च, 2020 तक 10.00 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

iii. **पावर टेक्स इंडिया:** व्यापक विद्युतकरघा विकास योजना को साधारण विद्युतकरघों का स्व-स्थाने उन्नयन, समूह वर्कशेड योजना, यार्न बैंक योजना, सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी), सौर उर्जा योजना, प्रधानमंत्री ऋण योजना आदि जैसे संघटकों के साथ 01.04.2017 से 31.03.2020 तक का अवधि के लिए शुरू किया गया है।

iv. **राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम:** इन कार्यक्रमों का उद्देश्य एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से हथकरघा और हस्तशिल्प कलस्टरों का सर्वांगीण विकास करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत रणनीतिक पहलों में नए उन्नत करघों और टूल किटों के लिए वित्तीय सहायता, डिजाइन नवाचार, उत्पाद और अवसंरचना विकास, कौशल उन्नयन, प्रशिक्षण, विनिर्माण और निर्यात बढ़ाने के लिए मेगा कलस्टरों की स्थापना, बुनकरों और कारीगरों के लिए अनुकूल मुद्रा ऋण के माध्यम से कार्यशील पूंजी के लिए आसान पहुंच तथा बुनकरों और कारीगरों को प्रत्यक्ष विपणन सहायता शामिल हैं।

v. **सिल्क समग्र**: भारत सरकार, देश में रेशम उत्पादन के विकास के लिए अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी का अंतरण तथा आई.टी. पहलों, बीज संगठनों को सहायता, समन्वय एवं बाजार विकास तथा गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली (क्यूसीएस)/निर्यात ब्रांड संवर्धन तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन जैसे संघटकों के साथ 'सिल्क समग्र' नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना का क्रियान्वयन कर रही है। रेशम को ऊन, कयर, कपास जैसे अन्य फाइबरों के साथ मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग वाले नए उत्पादों का विकास करने के लिए आरएंडडी प्रयास शुरू किए गए हैं।

vi. **एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी):** यह योजना वस्त्र विनिर्माण के नए कलस्टरों को विकसित करने में निजी निवेशों को आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति से क्रियान्वित की गई है। भारत सरकार 40 करोड़ रुपए की सीमा के भीतर परियोजना लागत के 40% तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

vii. **जूट-(आईकेयर)**: सावधानीपूर्वक डिजाइन की गईं पहलों के माध्यम से कच्ची पटसन की उत्पादकता तथा गुणवत्ता में सुधार करने के लिए वर्ष 2015 में जूट-आईकेयर (बेहतर खेती तथा उन्नत रैटिंग प्रक्रिया) नामक एक परियोजना की शुरूआत की गई थी। इस परियोजना से देश के विभिन्न राज्यों में 1.9 लाख किसानों को लाभ प्राप्त हुआ है।

viii. **राज्य और केंद्रीय करों तथा लेवियों की छूट (आरओएससीटीएल):** केंद्र सरकार ने दिनांक 07.03.2019 से परिधानों/मेड-अप्स के निर्यात पर एक नई योजना अर्थात राज्य और केंद्रीय करों तथा लेवियों की छूट (आरओएससीटीएल) लागू की है। आरओएससीटीएल योजना में अधिसूचित दरों और मूल्य सीमा पर परिधानों/मेड-अप्स के निर्यात पर योजना के माध्यम से ड्यूटी ड्रॉ-बैक योजना के अलावा राज्य और केंद्रीय करों तथा लेवियों की छूट का प्रावधान किया गया है और यह दिनांक 31.01.2020 तक लागू रहेगी।

ix. **पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस)**: यह योजना वस्त्र उद्योग के सभी क्षेत्रों को अवसंरचना, निर्माण क्षमता और विपणन सहायता प्रदान करके पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देती है। वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की अवधि के दौरान इस योजना का परिव्यय 500 करोड़ रुपए है।

x. **एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी):** ऊन के उत्पादन तथा इसकी गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए ऊन उत्पादक से लेकर इसके अंतिम उपभोक्ता तक ऊन क्षेत्र की समग्र श्रृंखला को सहायता प्रदान करने के लिए ऊन क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के एकीकरण और यौक्तिकीकरण के पश्चात वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार ने हाल ही में आईडब्ल्यूडीपी को अनुमोदित किया है।

उपर्युक्त पहलों/योजनाओं का उद्देश्य नई इकाइयों की स्थापना करने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना और उन इकाइयों का विकास करना है, जिनमें रोजगार के अधिक अवसर सृजित किए जाने की संभावना है।

*****